

कार्यालय नगर पालिक निगम, भिलाई

क्र. / लोक.वि/जोन-5/2026/1610

जोन-05 सेक्टर 06

भिलाई, दिनांक 28/7/2026

आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई की ओर से एकीकृत पंजीयन प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से लोक निर्माण विभाग के भवन एस.ओ.आर. निविदा सूचना

दिनांक-10.06.2026 एवं इलेक्ट्रिकल एस.ओ.आर 2026 से लागू तथा नाम एसओआर पर एवं अद्यतन संशोधन के आधार पर कम/अधिक पर निम्नलिखित कार्य हेतु मुहरबंद निविदा

- स्वीड पोस्ट के माध्यम से आमंत्रित की जाती है। कार्य हेतु निविदा की तिथियां निम्नानुसार है :-
1. निविदा जारी करने की तिथि- 28.09.2026
2. निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि- 22.10.2026 सांय 5.30 बजे तक
3. निविदा खोले जाने की तिथि- 23.10.2026

क्र	कार्य का नाम	निविदा लागत	घरोहर राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	समायावधि	फर्म
1	वार्ड क्र. 68 सेक्टर 06 आई लव भिलाई के समीप उद्यान निर्माण कार्य अंतर्गत सौंदर्यीकरण कार्य। (महापौर निधि)	699350.00	55500.00	750.00	20 दिन	रू. बी
2	जोन क्र. 05 अंतर्गत वार्ड 70 हुडको बाल उद्यान, सुभाष गार्डन एमआईजी 170 के समीप में उद्यान का संभारण कार्य एवं वार्ड क्र. 68 एवं 70 के विभिन्न स्थानों में सूचना बोर्ड संभारण एवं निर्माण कार्य। (प्रत्युत्तर मंद)	95143.00	2000.00	300.00	20 दिन	रू. फर्म

निगम एवं वार्ड - (1) संपूर्ण निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। (2) निविदा स्वीड पोस्ट अथवा एलिक्ट्रिकल डाक से स्वीकार किये जावेंगे। (3) घरोहर राशि एक डी.आर. के रूप में जोन आयुक्त/कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिक निगम भिलाई एवं संबंधित ठेकेदार के नाम से किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से जारी, जमा करना होगा तथा निविदा प्रपत्र शुल्क के रूप में निधारित शुल्क की राशि डी.डी. के माध्यम से आयुक्त नगर पालिक निगम, भिलाई के नाम से जमा करना होगा। प्रत्येक कार्य के लिये जीवित ठेकेदारों ई-पंजीयन, जीएसटी प्रमाणपत्र, पेनकार्ड/आयकर प्रमाण पत्र, जीवित साल्वेसी समस्त प्रमाण पत्र की स्व हस्ताक्षरित प्रति एवं नोटरी से जारी (100/-रु.) का राशि पत्र की मूलभूत, त्रिकांक "व" में प्रस्तुत करना है एवं निविदा प्रपत्र दर सहित लिफाफा "ख" में प्रस्तुत करना होगा। (4) कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम लागू होगी (5) सम्पूर्ण निविदा अथवा किसी अन्य को स्वीकृत करने अथवा न करने का अधिकार निगम के पास सुरक्षित रहेगा। (6) नगर निगम के वाहनो से निर्माण कार्य हेतु पानी लेने पर देयक से 1% की राशि की कटौती की जावेगी किन्तु निगम वाहन उपलब्ध करने हेतु बाका नही रहेगा। निगम क्षेत्र के स्ट्रेटो से स्वयं के वाहन से पानी लेने पर 0.5% राशि की कटौती की जावेगी। (7) सफल निविदाकार की निविदा दर निविदा राशि के 90% से कम होने की स्थिति में अंतर की राशि के सम्पूर्ण परकारमेस मास्ट्री के रूप में चर्चुयकृत बैंक का एक डी.आर. पोस्टऑफिस टाईम डिपॉजिट, एम.एस.सी. जो कि जोन आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई एवं एंजेंसी के नाम से देय होगा, मांग की तिथि से 15 दिनों की सम्पत्ति में जमा करना अनिवार्य हैना, तत्पश्चात्ति में जमा न करने की दशा में निविदा स्वयमेव निरस्त हो जावेगी एवं जमा घरोहर राशि राजसात कर ली जावेगी। (8) शासन के निर्देशानुसार अभिको से संबंधित कार्यों हेतु श्रमिकों का नियमानुसार पी.एच.कटौती किया जाना, तथा बैंको में खोला खोलकर सीधे उनके बैंक खातों में श्रमायुक्त द्वारा स्वीकृत दरों के अनुरूप प्रतिमाह राशि जमा करवाया जाना है। (9) प्रस्तुत दस्तावेज असत्य पाये जाने पर पंजीयन निरस्त कर काटती दृष्टि में दर्ज करने की कार्यवाही की जावेगी। (10) यदि निगम द्वारा निर्धारित निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि निविदा खोलने की तिथि को किसी अपरिहार्य कारणवश अवकाश घोषित होता है तो ऐसी स्थिति में अंतिम तिथि/खोलने की तिथि आगामी कार्य दिवस को माना जायेगा। (11) किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। (12) निविदा से अधिक किये गये ठेकेदारों/एजेंसियों की निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी। (13) कार्य प्रारंभ करने के पूर्व कार्य स्थल/कार्य का तथा कार्य के पश्चात् कार्य का फोटोग्राफ देयक से साब्य प्रस्तुत करने की जबाबदारी संबंधित ठेकेदार की होगी। (14) कार्य के संचालन में विस्तृत नियम शर्तों की जानकारी कार्यालयीन अवधि में नगर पालिक निगम भिलाई की वेबसाइट www.bhilainagarpanigam.com अथवा संचालनालय की वेबसाइट www.maharajpur.in एवं panigam-bhilai@cp.gov.in से भी देखी जा सकती है।

जोनी प्रमुख-
जोन क्र-0-5
नगर पालिक निगम, भिलाई